पत्रांक–11 न0वि0 अभि0(को0) 92/2015 – 1203 – न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
रोहतास (सासाराम)।

पटना, दिनांक–24/9/18

विषयः– नगर पंचायत, कोचस अंतर्गत तीन योजनाओं का परिमाण विपत्र अनुमोदन करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–88(अनु0) दिनांक –14.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगर पंचायत, कोचस अंतर्गत (1) सत्येन्द्र सिंह के घर से शर्मा राय–सह–सुरेश साह के घर होते हुए पावान डेरा के पास रामप्रवेश पासवान के घर तक पी0सी0सी0 नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य। (2) एन0एच0 30 मोहनिया रोड के पास रामाशंकर साह के घर से राजेन्द्र साह घर होते हुए रामाधार प्रसाद के घर तक पी0सी0सी0 नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य। (3) सुनील साह के घर से त्रिलोकी साह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य का परिमाण विपत्र एवं तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के साथ परिमाण विपत्र के अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है। परिमाण विपत्र में P.C.C Road कार्य हेतु R.C.D के SOR 6.2, Unreinforced, dowel joint cement concrete Pavement का प्रावधान ईट खड़ंजीकरन के उपर 6" मुटाई में किया गया है, जो उपयुक्त नहीं है। उक्त कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, मद एवं प्रसंग का उल्लेख आपके पत्र में नहीं किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित पथ निर्माण कार्य में वांछित P.C.C ग्रेड का प्रावधान करते हुए परिमाण विपत्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति भी प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

24/9/18
अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।